संख्याः- 14/2017/410/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017

प्रेषक,

विनीत प्रकाश
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0 प्र0नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग **लखनऊः दिनांक: 04 मई, 2017**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकारी/अर्धसरकारी /संस्थानों के भवनों पर ग्रिड संयोजित रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु राज्यांश स्वीकृत/ अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-23/यूपीनेडा- एसई-रूफटाप ग्रिड कनेक्टेड/275/2016-17, दिनांक 06 अप्रैल, 2017 एवं पत्र संख्या-268/नेडा-एसई-पीवी-आरएसपीपी/01/281/2016-17, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0 प्र0 को अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत सरकारी संस्थानों/ अर्धसरकारी संस्थानों के कार्यालयों भवनों में रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 8,00,00,000/- (रू0 आठ करोड़ मात्र) में से लेखानुदान अवधि (अप्रैल 2017 से अगस्त 2017 तक) के लिए धनराशि रू0 333.00 लाख (रू0 तीन करोड़ तेतीस लाख मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त व्यय की जायेगी।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नही किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

4- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

5- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्व ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा ।

6- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

7- द्विरावृत्ति से बचने के लिये कार्य की वीडियोग्राफी भी कराई जाय।

8- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

9- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12- उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित/व्यय किये जाने के पूर्व निदेशक, यूपीनेडा द्वारा प्रश्नगत कार्यक्रम/योजना से संबंधित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 70 के अधीन लेखा शीर्षक -''2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत 60-अन्य-800-अन्य व्यय-07-ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परम्परागत ऊर्जा का प्रोत्साहन-0703-सरकारी संस्थानों/ अर्धसरकारी संस्थानों के कार्यालयों भवनों में रूफटाप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना-20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2017/ बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017-231/2017, दिनांक 20 मार्च, 2017 द्वारा जारी दिशा निर्देशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
(3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
(4) राज्य योजना आयोग-1
(5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ. प्र., इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनीत प्रकाश)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in